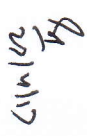


भाग-IV

(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जांच और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।	17	छतरपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-86 सागर-छतरपुर मार्ग के चौड़ीकरण/उन्नयन हेतु 9.7975 हेक्टेयर वन भूमि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर को उपयोग हेतु देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---

तिथि: 27.04.2017
स्थान: भोपाल


 (SUNIL AGRAWAL)
 I.F.S.
 Addl. Principal Chief Conservator of forest
 (Land Management)
 Madhya Pradesh, Bhopal